भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

ONE HUNDRED RUPEES

रु 100

INDIA

NON JUDICIAL

25 JUL 2023

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH GB 444152

NOTARIAL NOTARIAL

1

इकरारनामा माहदा बैय

हम कि **श्रीमति हमीदा बेगम** पत्नी इमरान निवासी मौ0 सरायपीरदगान कस्बा देवबन्द परगना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।

आधार कार्ड संख्या **** **** **9365** व पैन कार्ड संख्या **BDRPH3813H**

मो0न0 7500068094

———————————————————————— प्रथम–पक्ष

व

सुधीर कुमार पुत्र रघुराज सिंह निवासी ग्राम साखन खुर्द परगना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।

आधार कार्ड संख्या **** **** **2512** व पैन कार्ड संख्या **BSRPS0650N**

मो0न0 9919771365

———————————————————————— द्वितीय–पक्ष।

Identified by

हमीदा बेगम

ह0————

ह0————

जो कि निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी व अधिकारी प्रथम पक्ष बजरिये विरासत है। जो हर प्रकार के ऋण आदि के भार/रहन से मुक्त व स्वच्छ है। जायदाद जैल पूर्ण रुप से प्रथम पक्ष के कब्जे व अधिकार में है जिसके हस्तांतरण आदि करने के प्रथम पक्ष को कुल अधिकार प्राप्त है। जायदाद जैल की बाबत प्रथम पक्ष ने आज की तारीख से पहले इकरारनामा माहदा बैय जुबानी या तहरीरी या किसी प्रकार का हस्तांतरण आदि किसी भी दीगर शख्स के हक में नही कर रखा है,

अतः प्रथम पक्ष ने निम्नलिखित सम्पत्ति का सौदा फरोख्ती मुबलिग **8,20,000/– (आठ लाख बीस हजार) रुपये** जिसके आधे 4,10,000/– (चार लाख दस हजार) रुपये होते है, में आज की तारीख में द्वितीय पक्ष के साथ शरायत जैल पर तय किया है और द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से जायदाद निम्नलिखित शरायत जैल पर खरीदनी स्वीकार की है, अतः हम दोनों पक्ष व हमारे स्थानापन्न एवं उत्तराधिकारी शरायत जैल के पाबन्द रहेगें।

1 –यह कि मुझ प्रथम पक्ष ने मुबलिग **20,000/– (बीस हजार)** रुपये बतौर ब्याना निम्नलिखित तौर पर द्वितीय पक्ष से प्राप्त किये और द्वितीय पक्ष ने अदा किये।

2 –यह कि बैनामा रजिस्ट्री आदि का व्यय खरीदार के जिम्मे रहेगा।

3–यह कि मै प्रथम पक्ष निम्नलिखित सम्पति का बैनामा बहक द्वितीय पक्ष या उसकी स्वेच्छा अनुसार या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को शामिल करते हुए जिसके नाम वह अपनी स्वेच्छा से चाहेगा बिना किसी उज्र के तहरीर व तकमील करा कर के रजिस्ट्री करा दूगा शेष **8,00,000/– (आठ लाख)** रूपये समय रजिस्ट्री बैनामा प्राप्त कर लूगा।

4–यह कि मैं प्रथम पक्ष तामियाद इकरारनामा हाजा जायदाद जैल का किसी भी प्रकार से कोई हस्तांतरण आदि किसी अन्य शख्स के हक में नही करुंगा और न जायदाद जैल पर कोई सरकारी या गैर सरकारी ऋण लूगां यदि ऐसी कोई कार्यवाही साबित होगी तो वह कुल कार्यवाही बमुकाबले दस्तावेज हाजा नाजायज व झूठी होगी।

5– यह कि द्वितीय पक्ष सरकारी कर्मचारी है और यह इकरारनामा माहदा बैय उक्त प्लाट को क्रय करने हेतू किया जा रहा है। और उक्त प्लाट को क्रय करने की समय सीमा विभाग से परमिशन के अधीन होगी।

6 –यह कि यदि द्वितीय पक्ष ने हस्ब शरायत इकरारनामा हाजा उक्त अवधि तक जायदाद जैल का बैनामा न कराया तो बाद गुजरने मियाद उक्त द्वितीय पक्ष का जरे ब्याना जब्त समझा जायेगा।

7 –यह कि यदि प्रथम पक्ष हस्ब शरायत इकरारनामा हाजा जायदाद जैल का बैनामा करने से कासिर रहे तो द्वितीय पक्ष को हक प्राप्त होगा कि वह न्यायालय द्वारा तकमील माहदा बैय की कार्यवाही अमल में लाकर जायदाद जैल बैय करा ले और बकाया रकम दाखिल अदालत कर दे, ऐसा करने मे जिस कदर भी हर्जा व खर्चा द्वितीय पक्ष का होगा उसको अदा करने की तमाम जिम्मेदारी मुझ प्रथम पक्ष की जात खास व जायदाद हर किस्म पर होगी।

NOTARY

Identified by

ह0—————— ह0——————

8–यह कि जायदाद जैल पर कब्जा द्वितीय पक्ष को बरवक्त बैनामा दिया जायेगा।
9–यदि अन्तिम अवधि का कोई अवकाश रहता है तो इस अवकाश के पश्चात जो भी कार्य दिवस होगा वही अन्तिम अवधि होगी।

अतः यह इकरारनामा माहदा बैय दोनो पक्षों ने अपने अपने स्वस्थ मस्तिष्क स्थिर बुद्धि एवं स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के लिख दिया कि प्रमाण रहे इति।

विवरण प्राप्ति जरे ब्याना मजकूर :– कुल जरें ब्याना मु0 **20,000/–रू0 (बीस हजार रुपये)** प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से नकद प्राप्त कर लिये है।

विवरण प्लाट जिसका इकरारनामा माहदा बैय किया गया है स्थित ग्राम :– नूरपुर बैरुन हदूद (महावीर रेजीडेन्सी) परगना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।

विवरण प्लाट मुबैया

दरोबस्त एक किता आवासीय प्लाट पूरब मुहाना, जिसकी पैमाईश जानिब पूरब 30 फुट व जानिब पश्चिम 30 फुट 1 इंच व जानिब उत्तर 58 फुट 8 इंच व जानिब दक्षिण 56 फुट 7 इंच है, जिसका कुल क्षेत्रफल **160.75 वर्ग मीटर अर्थात 192.18 वर्ग गज** है। जिसमे कोई निर्माण किसी प्रकार का नहीं है। और वास्ते आबादी मुतालिका खसरा नम्बर 499 नूरपुर बैरुन हदूद का जुज भाग है। जो अनुसार कॉलौनी नक्शा नजरी प्लाट नं0 आर–74 है। जो प्लाट उक्त पैमाईश व क्षेत्रफल मे बैय किया है। मय जुमले हक हकूक हर एक प्रकार बाबत प्लाट मुबैया उक्त। जो हर प्रकार के भार/रहन से मुक्त है। विक्रित प्लाट की 25 मीटर की त्रिज्या मे कोई वाणिज्यिक गतिविधि नही है। विक्रित भूमि की धारा 80(2) उ0प्र0 राजस्व सहिता 2006 की उदघोषणा श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय देवबन्द वाद संख्या 1971/2022 श्रीमति हमीदा बनाम सरकार आदेश दिनांकी 13–05–2022 ई0 को हो रखी है।

महदूदा जैल– हदूदरबा

पूरब :– रास्ता 7.50 मीटर चौडा — पश्चिम :– बाउन्डरी वाल महावीर रेजीडेन्सी

उत्तर :– पार्क — दक्षिण :– प्लाट नं0 आर–74

हमीदा बेगम

ह0————————— ह0—————————

Identified by — साक्षी : Prabhat Kumar S/o Lokesh VPO - Kurrai — साक्षी : ————

ATTESTED

NOTARY ... OF INDIA

दिनांक :– 29–07–2023 ई0